# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

**अपील/डिक्री/टी.ए./980/2004/धौलपुर**

1– बाबु )पुत्रगण खरगे जाति लोधा निवासी बहरावती तहसील
2– महेन्द्र ) सैपऊ जिला जोधपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– भंवर सिंह )
2– ईश्वरी प्रसाद ) पिसरान भवानीसिंह जाति त्यागी (गोलापूरव)
3– वासदुव प्रसाद ) निवासी राजपुर तह0 सैपऊ जिला धौलपुर।
4– पोहरपसिंह )
5– रामखिलाड़ी )
6– मानसिंह )
7– हरीबाबू पुत्र खरगे जाति लोधा निवासी बहरावती तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
8– उमराव पुत्र हरगोविन्द जाति लोधा निवासी बहरावती तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।
9– राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

**खण्ड–पीठ**

श्री खजान सिंह, सदस्य
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

**उपस्थितः**

श्री जगदीश प्रसाद माथुर, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री माधवराज सिंह, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

---

**निर्णय**

दिनांकः 28 जुलाई, 2022

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भतरपुर कैम्प धौलपुर द्वारा प्रकरण संख्या 125/2001 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–02–2004 के विरूद्ध पेश की गई

है। अपीप मीमों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या–8 उमराव पुत्र हरगोविन्द का नाम अंकित नहीं किया है जबकि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों यह नाम अंकित है। अतः हामरे द्वारा पारित इस निर्णय में उमराव पुत्र हरगोविन्द का नाम प्रत्यर्थी सं0–8 के रूप में अंकित किया गया है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, मु0 धौलपुर के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 924/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम बहरावती के खातेदार काश्तकार प्रतिवादी संख्या 8 उमराव के पिता हरगोविन्द थे। तथा साबिक आराजी खसरा नंबर 924/2 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम बहरावती के खातेदार काश्तकार अपीलार्थीगण/वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 7 हरीबावू के पिता खरगे थे। हरगोविन्द के देहान्त के पश्चात प्रतिवादी सं0 8 उमराव तथा खरगे के देहान्त के बाद अपीलार्थीगण/ वादीगण व प्रतिवादी सं0 7 हरीबावू खातेदार काश्तकार हुए और बहैसियत खातेदार होकर काश्त कर रहे थे। बंदोबस्त विभाग ने साबिक आराजी खसरा नबर 924/1 व 924/2 का हाल खसरा नंबर 1092 कायम कर अकेले हरगोविन्द के नाम दर्ज कर दिया है, जो गलत है। हरगोविन्द के साथ खरगे के नाम भी पर्चा जारी किया जाना चाहिए था। बन्दोबस्त विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया है जिससे वादीगण पाबंद नहीं है और दुरूस्त कराने के अधिकारी है। प्रतिवादी उमराव के पिता हरगोविन्द ने गलत पर्चे की आड़ में हाल खसरा नंबर 1092 को प्रतिवादी सं0 1 से 6 जो प्रत्यर्थी सं0 1 से 6 हैं, के पक्ष में बयनामा कर दिया है जबकि वादीगण व प्रतिवादी सं0 7 अपने पिता की आराजी पर काबिज है। करीब तीन माह पूर्व प्रतिवादी सं0 1 से 6 व 8 वादीगण की आराजी पर आये और जाहिर किया कि बन्दोबस्त विभाग से गलत पर्चा जारी करा कर खरगे का नाम हटा दिया है तथा हरगोविन्द ने समस्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 को बेचान कर दी और अब वे वादीगण की भूमि पर काश्त करेंगे। इसलिए वाद पेश किया गया है ताकि वे अपने हिस्से की आराजी पर खातेदारी अधिकार घोषित करावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद करावे। प्रतिवादी सं0 7 हरीबावू पुत्र खरगे व प्रतिवादी सं0 9 राजस्थान सरकार से काई अनुतोष नहीं चाहा हैं, आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें पक्षकार बनाया गया है। अतः दावा डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नंबर 1092 के आधे भाग पश्चिम दिशा पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दर्ज किया जावे तथा साथ ही प्रतिवादी सं0. 1 से 6 व 8 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया

जावे। परीक्षण न्यायालय ने दोनों पक्षों की साक्ष्य सबूत के आधार के तनीकिया कायम की तथा उभय पक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 14–6–2001 द्वारा वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20–02–2004 द्वारा अपील अपीलार्थीगण खारिज कर दी। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बात की ओर ओर गौर नहीं किया कि साबिक खसरा नंबर 924/2 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के खातेदार अपीलार्थीगण/वादीगण एवं प्रतिवादी/प्रत्यर्थी सं0 7 हरीबाबू के पिता खरगे अभिलिखित खातेदार थे, जो जमाबन्दी संवत 2016 से 2019, जमाबन्दी संवत 2010 व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध था एवं खसरा नंबर 924/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा के खातेदार हगोविन्द था , जो कि उमराव के पिता हैं, । यह तथ्य भी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध था किन्तु बन्दोबस्त कर्मचारियों ने दोनों खसरा नंबर 924/1 व 924/2 को मिलाकर नया खसरा नंबर 1092 बना दिया था और हरगोविन्द की खातेदारी में दर्ज कर दिया था जो अवैध कार्यवाही थी। बंदोबस्त कर्मचारियों को इस तरह की कार्यवाही करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। बंदोबस्त कर्मचारियों को केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टियो को दोहराने का अधिकार है। उन्होंने बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के जो कार्यवाही की है, वह निरस्तनीय है। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने 1969 आर.आर.डी. पेज 231 व 1973 आर.आर.डी. पेज 31 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये। उन्होंने यह भी कथन किया कि बंदोबस्त विभाग को हरगोविन्द व खरगे दोनों का नाम विवादित आराजी में दर्ज करना चाहिए था केवल हरगोविन्द का नाम दर्ज करके उन्होंने कानूनी भूल की है। हरगोविन्द ने गलत पर्चा के आधार पर विवादित भूमि का बेचान प्रतिवादी सं0 1 से 6 को किया है, जो प्रभाव शून्य है क्योंकि विवादित आराजी उसके अकेले के नाम गलत आधार पर दर्ज की गई है। वादीगण द्वारा अपनी साक्ष्य से दावा सिद्ध कर दिया जिसे परीक्षण न्यायालय ने वादीगण के पक्ष में डिक्री नहीं कर कानूनी भूल की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है जब उपखण्ड अधिकारी द्वारा स्वयं मौके का मुआयना किया गया है, जबकि किसी अधिकारी के मौका देखने से वाद का निर्णय नहीं किया जा सकता है, उपखण्ड अधिकारी ने कोई मौका रिपोर्ट नहीं बनाई है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्रकरण की गहराई में न जाकर सरसरी तौर पर देखते हुए निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील

स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खारिज किये जावे तथा वाद वादीगण अपीलार्थीगण डिक्री फरमाया जावे।

4– इसके विरोध में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का कथन है कि वादीगण के पिता खरगे व प्रतिवादी उमराव के पिता हरगोविन्द आपस में सगे भाई थे। 30 वर्ष पूर्व उनके मध्य बाहमी बंटवारा हुआ था जिसमें खसरा नंबर 924/1 व 924/2 स्व0 हरगोविन्द क हिस्से में आई थी, जो अविभाजित भूमि थी। यानि उक्त दोनों खसरा नंबर के बीच में कोई मेड़ आदि नहीं थी। जिस समय बदांबस्त की कार्यवाही हुई उस समय उक्त भूमि पर अकेले हरगोविन्द का कब्जा था, इस कारण बंदोबस्त कर्मचारियों ने इस बात को देखते हुए हरगोविन्द के नाम खातेदारी दर्ज की गई है। खसरा नंबर 924/1 व 924/2 के बदले खसरा नंबर 1040 खरगे को दिया गया, जिस पर स्व0 हरगोविन्द या उसके वारिस का अब कोई हक व अधकार नहीं है। विवादित भूमि का बेचान स्व0 हरगोविन्द ने अपने भाई खरगे की सहमति से अपने जीवनकाल में किया है तथा खरगे ने जीवित रहते इस पर कोई आपत्ति नहीं की थी। इन सभी तथ्यों को देखते हुए परीक्षण न्यायालय ने वाद वादीगण डिक्री किया है क्योंकि विवादित आराजी से वादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। केवल बाहमी बंटवारे से पूर्व दर्ज राजस्व रिकार्ड के आधार पर वह भूमि में हिस्सा लेना चाहता है जबकि उनके पिता खरगे ने कभी भी हरगोविन्द द्वारा बेचान की गई भूमि के संबंध में आपत्ति प्रकट नही की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के वाद को सिद्ध नहीं मानते हुए अपील खारिज की हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावे।

5– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह जाहिर है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 924/1 व 924/2 का बंदोबस्त विभगा द्वारा एक ही खसरा नंबर 1092 कायम किया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह कथन है कि उक्त भूमि में केवल हरगोविन्द का नाम दर्ज किया है हरगोविन्द के सगे भाई यानि उनके पिता खरगे का नाम दर्ज नहीं किया गया है जबकि दोनों का नाम दर्ज किया जाना चाहिए। प्रतिवादी उमराव द्वारा यह कथन किया गया कि हरगोविन्द व खरगे के मध्य बाहमी बंटवारा 30 वर्ष पहले हुआ जिसमे खसरा नंबर 924/1 वप 924/2 हरगोविन्द के हिस्से में आई तथा बंदोबस्त के समय हरगोविन्द ही उक्त भूमि पर काबिज था। उक्त खसरा नंबर के बदले खरगे को खसरा नंबर 1040 दिया गया जिससे हरगोविन्द का अब हक व अधिकार नहीं रहा है।

7– परीक्षण न्यायालय सहायक कलक्टर, मु0 धौलपुर ने विरचित तनकियों पर विस्तृत विवेचना करते हुए तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजी साक्ष्य को मध्य रखते हुए यह पाया है कि विवादित आराजी पर वादीगण के पिता ने जब अपने जीवनकाल में कोई आपत्ति नहीं की तो अब उनके वारिसान यानि खरगे के पुत्र वादीगण व प्रतिवादी सं.0 7 द्वारा अपने पिता के निधन के बाद क्यों आपत्ति की जा रही हैं। उन्होंने भी अपने निर्णय में यह अंकित किया है उन्होंन मौके पर जाकर मौके का निरीक्षण किया है। इस प्रकार मौके पर भी भूमि का रकबा केवल हरगोविन्द का ही पाते हुए उन्होंन वादीगण का वाद सिद्ध नहीं होना माना है।

8– अधीनस्थ न्यायालय ने भी पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजों की व्याख्या करते हुए अपीलार्थीगण की अपील में कोई सार नहीं पाते हुए अपील खारिज की है।

9– हमारे विनम्र मत में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि विवादित आराजी में भले ही हरगोविन्द व खरगे के नाम दर्ज है परन्तु मौके पर विवादित भूमि का रकबा केवल 1 बीघा 13 बिस्वा है, जिस पर बंदोबस्त अधिकारियों द्वारा हरगोविन्द का कब्जा होना पाते हुए उसका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया जाता है कि वादीगण के पिता खरगे द्वारा अपने जीवनकाल में अपने भाई हरगोविन्द द्वारा विवादित भूमि का बेचान करने से कोई आपत्ति नहीं की गई है। केवल पुराने राजस्व रिकार्ड में पिता के नाम की प्रविष्टि होने के आधार पर तथा मौके पर कब्जा नहीं पाये जाने से किसी वारिसान के हक तय नहीं किये जा सकते।

10– दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने निर्णय में विस्तृत विवेचना करते हुए अपीलार्थीगण की अपील व वाद खारिज किये किये है जिनमें हम इस द्वितीय अपील के जरिये हस्तक्षेप किये जाने कोई आवश्यकता नहीं समझते हैं।

11– परिणामतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती तथा न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर का निर्णय व डिक्री दिनांक 20–02–2003 बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(भवानी सिंह पालावत)**
**सदस्य**

**(खजान सिंह)**
**सदस्य**